एफ. सं- क्यूसीटी-2015-16-000025 **दिनांक - 21.04.2025**

विषय: इंडोनेशिया को निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों के परीक्षण पर परामर्शिका - के संबंध में

इंडोनेशियन क्वारंटीन अथॉरिटी (आईक्यूए) ने इंडोनेशिया को निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों के परीक्षण हेतु 14.04.2025 से 17 भारतीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को पंजीकृत किया है।

अनुमोदित प्रयोगशालाओं को सलाह दी जाती है कि वे शिपमेंट सैंपलिंग, विश्लेषण एवं भराई हेतु अपनाए जाने वाले मानदंडों, आवश्यकताओं और प्रक्रिया के संबंध में व्यापार सूचना सं.: APEDA/PPP/Q/2025 दिनांक: 24.01.2025 (मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया) का पूरीतरह से पालन करें। प्रयोगशालाएँ कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कीटनाशक अवशेषों, भारी धातुओं और माइक्रोबायोलॉजिकल मापदंडों जैसी आवश्यकताओं के अतिरिक्त इंडोनेशिया द्वारा निर्धारित एफ्लाटॉक्सिन के अधिकतम स्तर का पालन करें।

आईक्यूए ने सूचित किया कि मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन अधिक होने के मामले में पिछले वर्षों के दौरान बारम्बार गैर-अनुपालन की रिपोर्ट के चलते, आईक्यूए इंडोनेशिया को निर्यात किए जाने वाले भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से मूंगफली और गेहूं पर अपने निगरानी कार्यक्रम को बढ़ाएगा, जिससे निरीक्षण आवृत्ति कम से कम 50% तक बढ़ जाएगी। आईक्यूए ने यह भी निर्णय लिया है कि निगरानी प्रक्रिया के दौरान किसी भी गैर-अनुपालन का पता चलने पर, प्रभावित उत्पाद को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आईक्यूए द्वारा पंजीकृत प्रयोगशालाओं को सलाह दी जाती है कि निर्यात खेपों (कंसाइन्मेंट) में किसी भी गैर-अनुपालन से बचने के लिए इंडोनेशिया के दिशा-निर्देशों, एपीडा की निर्यात प्रक्रिया और अन्य गुणवत्ता आवश्यकताओं का पालन करें। इस संबंध में किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा।

(रीबा अब्राहम)
उप महाप्रबंधक